पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 13,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2012 धारा 363,366,376 भादवि बनाम पप्पू पुत्र वालिस्टर निवासी ग्राम जगतियापुर थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर की विवेचना उ0नि0 श्री राम सहाय थाना दातागंज द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0कां0 प्रेमपाल थाना दातागंज द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त पप्पू उपरोक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 13,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

पैरवी करने वाले पैरोकार हे0कां0 प्रेमपाल थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक उ0नि0 श्री राम सहाय थाना दातागंज का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।